

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-156/1990 आर)/अलेसे-11/11664-68 दिनांक :- 6.5.15.

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3 (ख)(1) अति.कार्य/अलेसे-11/5793-97 दिनांक 29.04.2015 के पंक्ति संख्या 2 में वर्णित कार्यालय राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग राजस्थान, जयपुर के स्थान पर कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर द्वितीय पढा जावें।


(के० एम० मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-156/1990 आर)/अलेसे-11/11664-68 दिनांक :- 6.5.15

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज० जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 08.4.2015 के क्रम में।
2. प्राचार्य, राजस्थान चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
3. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर द्वितीय, जयपुर।
4. श्री मोहन लाल जोशी, सलेअ ग्रेड-11 कार्यालय राजस्थान चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)